पी. वी. एस. एस. आर. जगन्नाथ चार्युलु और अन्य

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य.

9 मई, 1997

[के. रामास्वामी और डी. पी. वाधवा, जे. जे.]

आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और अक्षय निधि अधिनियम, 1987:

हिंदू कानून-अर्चक और मंदिर के अन्य पदाधिकारी-वंशानुगत अधिकारों का उन्मूलन-उनके कल्याणकारी उपायों के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन-न्यास विलेख का निष्पादन-न्यासी मंडल का गठन और कार्य-संबंधित निर्देश।

आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और अक्षय निधि अधिनियम, 1987 के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इस न्यायालय ने कहा कि अर्चकों और अन्य पदाधिकारियों के वंशानुगत अधिकारों का उन्मूलन असंवैधानिक नहीं था। इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आंध्र प्रदेश राज्य में अर्चकों और मंदिर के अन्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों और धार्मिक संस्थानों के संबंध में कल्याणकारी उपायों के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एक समिति

का गठन किया जाना चाहिए। आंध्र के Pradesh.A न्यास विलेख को आंध्र प्रदेश अक्षय निधि और अन्य कर्मचारी स्वागत किराया कोष के नौ सदस्यों के साथ इसके उचित प्रशासन के लिए निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

इस मामले का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने यह कहा

1. आंध्र सरकार के मुख्य सचिव, न्यासी मंडल के अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के नामांकन के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करेंगे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सेवानिवृत न्यायाधीश न्यासी मंडल के सदस्य होंगे जो नाम का सुझाव दे सकते हैं।

2. अर्चकों के नामांकित व्यक्ति उनके संघों द्वारा चुने गए अर्चकों में से हो सकते हैं; आंध्र क्षेत्र से और दूसरा तेलंगाना क्षेत्र से कर्मचारी का प्रतिनिधि हो सकता है जैसा कि न्यास विलेख में सुझाव दिया गया है।

3. सरकार को अतिरिक्त आयुक्त अक्षय निधि विभाग का पद बनाने का निर्देश दिया गया है अक्षय निधि आयुक्त के कार्यालय में धर्मादा विभाग को सेवा अधिकारियों में से भरा जाएगा जोन्यास के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन का प्रभारी रखा गया।

4. भारत सरकार न्यास को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के तहत अधिसूचित उद्देश्य न्यास के रूप में घोषित करेगी ताकि इस तरह से

दी गई छूट को 100% छूट दी जाए, कोष से प्राप्त पूरी आय को न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाए। (360-ह. 361 अ)

5. समिति का सुझाव है कि खातों का लेखा-परीक्षण किया जाना चाहिए समय-समय पर नियमित लेखा परीक्षकों द्वारा और स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा नहीं।सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह निधि की नियमित लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए उपयुक्त मॉड्यूल को संशोधित करे और न्यास के बेहतर प्रबंधन और न्यास विलेख में उल्लिखित कल्याणकारी उपायों के लिए आय के उचित उपयोग के लिए तरीके और साधन सुझाए।

6. न्यास के सभी उद्देश्य स्व-व्याख्यात्मक और वाक्पटु हैं। अर्चकों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यास के नियमों और शर्तों और प्रबंधन के तरीके को मंजूरी दी गई है। [360-डी]

आंध्र प्रदेश के दीक्षितुलु v. अन्ध्र प्रसेश स्तते और अन्य, [1996] E 9 SCC 548

सिविल मूल न्यायनिर्णयः स्थानांतरण मामला सं. 38/1990 में आई. ए. नंबर 2

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत)

के साथ

रिट याचिका (सी) संख्या 1090/1987 में आई. ए. नं. 4।

डी. डी. ठाकुर, पी. पी. राव, हरदेव सिंह, डॉ. गौरी शंकर, सी. मुकुंद , एच. टी. वी. रत्नम, बी. कांता राव, के. राम कुमार, सी. बालासुब्रमण्यम, श्रीमती.

आशा नायर, वी. बालाजी, एन. गणपति, ए. टी. एम. संपत, सुश्री मधु मूल-ए चंदनी, एस. मार्कण्डेय, श्रीमती चित्रा मार्कण्डेय, सुश्री मीनाक्षी ए. जी. गरवाल, ए. सुब्बा राव, ए. डी. एन. राव, वी. बालचंद्रन, जैन हंसारिया एंड कंपनी, पी. एन. रामलिंगम, बी. पार्थसारथी, वाई. पी. राव, सुश्री साधना रामचंद्रन, सुश्री बी. सुनीता राव और सुश्री एच. वाही पक्षकारों की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था-

के. रामास्वामी, जे. पैराग्राफ 135 से ए. एस. नारायण दीक्षितुलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य. [1996] 9 एससीसी 548, इस न्यायालय ने नियमित वेतनमान प्रदान करने के अलावा, अन्य कल्याणकारी उपायों को तैयार करने का निर्देश दिया था और सरकार को गठन करने का निर्देश दिया था अरचकों, अन्य कर्मचारियों और/या उनके आश्रितों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में कल्याणकारी उपायों के लिए

उससे प्राप्त होने वाली आय को खर्च करने के लिए प्रक्रिया विकसित करने के लिए कोष के रूप में शुरू करने के लिए Rs.75 करोड़ की राशि के साथ स्थायी निधि। एक समिति को इसके अनुसार निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया गया था, सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसने अर्चकों और मंदिर के अन्य कर्मचारियों और आंध्र राज्य में उनके आश्रितों और धार्मिक संस्थानों के संबंध में कल्याणकारी उपायों के लिए एक योजना तैयार की है। एक न्यचि दीद द्वारा प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा निष्पादित की जानी थी प्रस्तावना के उद्देश्यों के साथ जो 9 सदस्य आंध्र प्रदेश अक्षय नीति अर्चक एवं अन्य कर्मचारी कल्याणकारी कोष में इसका सम्यक प्रशासन के लिए।

इसमें आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव, एफ राजस्व विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के सचिव, अक्षय निधि विभाग के आयुक्त, टी. टी. डी. के कार्यकारी अधिकारी, टी. टी. डी., एफ. ए. और सी. ए. ओ., अर्चकों के दो प्रतिनिधि और अन्य न्यासियों द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि शामिल हैं। जो समय-समय पर नामित जी समिति की अवधि नामांकन की तारीख से तीन साल की अवधि तक होती है, मुख्य सचिव बोर्ड के अध्यक्ष होंगे । ट्रस्ट का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यह सुझाव दिया जाता है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत

न्यायाधीश वोट के सदस्य होंगे एक न्यायालय को सरकार द्वारा कार्यकाल के बोर्ड का सदस्य बनने के लिए नामित किया जा सकता है और यह भी माना जाएगा कि मुख्य सचिव, न्यासी मंडल के अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नामित करने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करेंगे। .मुख्य न्यायाधीश का सुझाव दे सकता है, सुझाए गए नामों में से या अपने विवेक से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यासी मंडल के सदस्य नियुक्त कर सकता है अर्चकों के बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, जो या तो उनके संघों द्वारा प्रायोजित अर्चकों में से हो सकते हैं; आंध्र क्षेत्र से एक और तेलंगाना क्षेत्र से दूसरा सी कर्मचारियों का प्रतिनिधि हो सकता है जैसा कि विलेख में न्यासी मंडल की पहली बैठक की तारीख में कहा गया है, उनका कार्यकाल से शुरू होना चाहिए, जिसका उल्लेख उस विलेख में किया गया है जिसमें हमारे पास न्यास के उद्देश्य स्व-व्याख्यात्मक हैं और <ID अर्चकों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों आदि की जरूरतों के संदर्भ में thereof.Since यह एक पूर्णकालिक काम है, हम सोचते हैं कि धर्मादा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त के एक अधिकारी को ट्रस्ट के प्रबंधन के प्रभारी के रूप में रखा जाना चाहिए, ताकि बोर्ड की सहायता की जा सके। पर्याप्त सचिवालय के साथ दैनिक प्रबंधन में न्यासी ई. पी. पी. राव, राज्य

के विद्वान वरिष्ठ वकील, इस सुझाव पर सहमत हो गए हैं; और यदि सिफारिश की जाती है, तो सरकार एक पद बनाएगी इस में अतिरिक्त आयुक्त, तदनुसार, सरकार को धर्मादा आयुक्त के कार्यालय में अतिरिक्त आयुक्त, धर्मादा विभाग का एक पद बनाने का निर्देश देते हैं, जिसे सेवा अधिकारियों में से भरा जाए, जिन्हें न्यास के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन का प्रभारी रखा जाएगा और जो समय-समय पर आवश्यक पर्याप्त प्रतिष्ठान के साथ उचित कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे, जो सरकार द्वारा इस संबंध में उचित समझा जा सकता है।

यह भी सुझाव दिया जाता है कि भारत सरकार को आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत अधिसूचित उद्देश्यों के रूप में आयकर से छूट देने का निर्देश दिया जा सकता है। यह सुझाव उपयुक्त है और हम इसे अनुमोदित करते हैं

भारत सरकार ट्रस्ट को अधिसूचित घोषित करेगी। और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के तहत न्यास स्थापित किया ताकि 100% इस प्रकार दी गई छूट को छूट दी जाती है, पूरी आय कोष से प्राप्त राशि का खर्च उन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए न्यासी जो के विलेख में उल्लिखित हैं-उद्देश्य धर्मार्थ और कल्याण प्रकृति के हैं, भारत सरकार उपयुक्त मंत्रालय के माध्यम से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत सभी आवश्यक छूट प्रदान करेगा या किसी अन्य

प्रासंगिक अधिनियम में पहली बार आयकर आयुक्त, हैदराबाद से संपर्क करना चाहिए, जिन्हें धारा 80-जी या किसी अन्य के तहत छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय को जांच के बाद आवश्यक सिफारिशें भेजने का निर्देश दिया जाता है। आयकर अधिनियम का प्रासंगिक प्रावधान।

इसके बाद यह सुझाव दिया जाता है कि खातों का समय-समय पर सी नियमित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षण किया जाना चाहिए न कि स्थानीय द्वारा यह सोचने की आवश्यकता है कि सरकार को निधि का नियमित लेखा-परीक्षण करने के लिए उचित मॉड्यूल में संशोधन करने और ट्रस्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए तरीके और साधन सुझाने का निर्देश दिया गया है और रिपोर्ट में ट्रस्ट के विलेख के समझौतों के विलेख में उल्लिखित कल्याणकारी उपायों के लिए आय । उचित न्यासी विलेख उपयोग दोहराया गया है।

तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

याचिका का निपटारा किया गया।

टीएनए।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।